हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

गुलाबसिंह खीची बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 164/2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुलाबसिंह खीची पता ग्राम व पोस्ट –नारवा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.07.19 में उसके द्वारा (1) जोधपुर तहसील कार्यालय से बाहर भेजी जाने वाली डाक से संबंधत जावक पंजिका की दिनांक 01.05.17 से 31.05.17 की प्रमाणित प्रतियां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से जरिये पत्रांक 597 दिनांक 16.09.19 प्राप्त हुआ। उक्त पत्र का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने प्रार्थी गुलाबसिंह को लिखा गया कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना जरिये पत्रांक 463 दिनांक 02.08.19 द्वारा प्रेषित की गई।

अपीलार्थी की ओर से इस कार्यालय में दिनांक 23.09.19 को अन्य प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें जाहिर किया गया कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा जरिये पत्रांक 463 दिनांक 02.08.19 सूचना भिजवाई गई वो सूचना Stock Register of Service postage stamps पंजिका की दी गई जिसकी फोटो प्रतियां भी संलग्न है, जबकि उसे जावक पंजिका की प्रमाणित प्रति चाही गई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2019.11.30 13:04:52 IST
Reason: SelfAttested